न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 137/2019 **दायर दिनांकः 05/09/2019**

उनवान

1. घनश्याम आयु 56 वर्ष पुत्र चतरदास जाति वैष्णव निवासी बम्बोरी हाल मुकाम बिछालस तह0 अटरू जिला बांरा (राज0)
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष पुत्र चतरदास
3. दामोदर आयु 48 वर्ष पुत्र चतरदास
4. महावीर प्रसाद आयु 40 वर्ष पुत्र छीतरदास
5. जुगराज आयु 35 वर्ष पुत्र छीतरदास जातियान वैष्णव निवासीगण बम्बोरी तह0 अटरू जिला बांरा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम आयु 57 वर्ष पुत्र रामनाथ (प्रभु)
2. कमलाबाई आयु 55 वर्ष पुत्री प्रभु पत्नी सीताराम जातियान धाकडऋ निवासीगण बम्बोरी अटरू जिला बांरा (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

अप्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश योगी।

आदेश दिनाकः 05/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू की खाता संख्या 134 की ख0नं0 1646/2250 का रकबा 0.36 है0 ख0नं0 1648 का रकबा 3.18 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.54 है0 आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व मे चला आ रही हैं। नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल बम्बोरी तहसील अटरू की खाता संख्या 25 की ख0नं0 135 का रकबा 0.18 है0 व खाता संख्या 366 का ख0 न0 145 का रकबा 0.83 है0

आराजी अप्रार्थीक्रम 1 के कब्जे काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही हैं। व इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल बम्बोरी तहसील अटरू की खाता संख्या 30 की ख0नं0 144 का रकबा 3.65 है, ख0नं0 253 का रकबा 2.41 है0 कुल किता 2 का रकबा 6.06 है0 आराजी अप्रार्थीक्रम 2 के कब्जे काश्त व स्वामित्व मे चली आ रही हैं। जो कि अप्रार्थीक्रम 2 कमलाबाई अप्रार्थीक्रम 1 सीताराम की पत्नी है। नकल जमाबन्दी, व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं।यह कि प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 134 की ख0नं0 1646/2250 का रकबा 0.36 है0 ख0नं0 1648 का रकबा 3.18 है0 कुल किता 2 का रकबा 3.54 है0 आराजी पर हमेशा से ही आने जाने के लिए व ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल गाडी, हल कुली, व पैदल आने जाने के लिए अप्रार्थीक्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त व स्वामित्व के खाता संख्या 25 की ख0नं0 135 का रकबा 0.18 है, आराजी व खाता संख्या 366 का ख0 न0 145 का रकबा 0.83 है0 व खाता संख्या 30 ख0नं0 144 का रकबा 3.65 है0 के खेत के लगवा लगभग 15 फुट की मेड पर बने रास्ते से प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त के खेत पर बिना रोट टोक के आज दिन तक आते जाते रहे है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत पर अन्य कोई आने जाने का रास्ता नही हैं। प्रार्थीगण हमेशा से ही व अपने पूर्वजो के समय से ही इसी आम रास्ते से ट्रेक्टर, ट्रोली, हल कुली, बेलगाडी, व पैदल आते जाते रहे हैं। तथा उक्त आराजी को कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। आम रास्ते को नजरी नक्शा में लाल स्याही से ए से बी स्थान से व बी0 से सी स्थान से प्रदर्शित किया गया हैं। ए से सी0 स्थान पर 15 फुट चौडा रास्ता बना हुआ था। नकल नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं। अप्रार्थीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से दिनांक 30.07.2019 को नजरी नक्शा मे लाल स्याही से प्रदर्शित ए से सी0 स्थान पर बने 15 फुट चौडे आम रास्ते को हाक जोत कर अपने खेत मे मिला लिया तथा प्रार्थीगण का खेत पर आने जाने का रास्ता वर्तमान मे बन्द कर दिया गया तथा प्रार्थीगण ने ए से सी स्थान पर बने आम रास्ते को अप्रार्थीगण से हाक व जोत कर अपने खेत में मिलाने से व रास्ता बन्द करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच की तथा मारपीट पर आमादा हो गये व प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण ने हमेशा के लिए स्थाई रूप से बन्द कर दिया। जिससे प्रार्थीगण का अपने खेत पर हकाई जुताई करने व आना जाना मुश्किल हो गया हैं। प्रार्थीगण ने अपने खेत पर फसल की बुआई भी पास के खेत मे से ट्रेक्टर निकाल कर हकाई जुताई करके बुआई की है। नही तो प्रार्थीगण का खेत पडत रहने की नौबत आ गई थी। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पुरी पुरी सम्भावना थी। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव

नही थी अस्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा मे लाल स्याही से प्रदर्शित ए से सी स्थान पर बन्द किये गये 15 फुट आम रास्ते को खुलासा करा पाने का अधिकारी है जिसे बिना माननीय न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता हैं। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से प्रदर्शित ए से सी स्थान पर अवरूद्ध किये गये 15 फुट चौडे आम रास्ते को जो कि प्रार्थीगण के खेत पर जाता है को पुनः खुलासा करवाकर अप्रार्थीगण से छुडवाया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे भविष्य में भी नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से प्रदर्शित ए से सी स्थान पर बने 15 फुट के आम रास्ते को अवरूद्ध नही करे प्रार्थीगण को अपने कब्जे एव स्वामित्व के ख0नं0 1646/2250 का रकबा 0.36 है0 ख0नं0 1648 का रकबा 3.18 है0 आराजी पर आने जाने व ट्रेक्टर ट्रोली, हल कुली, बैलगाडी, अन्य कृषि यन्त्र लाने व ले जाने हेतु शान्ती पूर्वक काश्त करने हेतु किसी प्रकार बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने प्रतिनिधियो द्वारा करावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगा के मध्य गांव वालो के समक्ष आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिए उक्त राजीनामें को तस्दीक करवाया जाना आवश्यक है, बिना पैसे दिये ही राजीनामा हो गया है कोई प्रतिफल राशि नही है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य हुये राजीनामें को तस्दीक करने की कृपा करें।

उभयपक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया प्रार्थी की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एडवोकेट द्वारा की गई तथा अप्रार्थी की पहचान श्री चन्दालाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई।

अतः आपसी सहमति से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण अपनी खाते की आराजी ग्राम आटोन की खाता संख्या 134 की किता 2 रकबा 3.54 है0 पर पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के ग्राम बमोरी के खाता संख्या 25 की ख0नं0 135 व खाता संख्या 366 के ख0नं0 145 व खाता संख्या 30 का ख0नं0 144 में से 15 फुट रास्ता प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने हेतु निशुल्क राजीनामें अनुसार दिये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:33:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: